(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव कारखानों को तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई बन्द कर देने का है ; और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यह सप्लाई कब तक रोक दी जायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई के लिए वर्तमान चरेलू उपभोक्ताओं का नामांकन औद्योगिक उपभोक्ताओं को तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) की वचनबद्धता को ध्यान में रखने के बाद किया गया है। ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई इस वचनबद्धता से अधिक नहीं की जाती। इसलिए पूर्व नामांकित चरेलू उपभोक्ताओं की सप्लाई में विभिन्न औद्योगिक यूनिटों द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस की अतिरिक्त खपत के कारण कमी का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) देश में तरल पेट्रोलियम गैस की कुल खपत का लगभग 20% औद्योगिक/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा शेष लगभग 80% की खपत चरेलू उपभोक्ताओं में होती है। देश में जहां तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई की जा रही है, उद्योगवार विस्तृत विवरण इस समय तैयार नहीं है।

(ग) जी, नहीं । फिर भी, उद्योगों को तरल पेट्रोलियम गैस के उपयोग की स्वीकृति सीमित आधार पर दी जाती है वह भी यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि तकनीकी कारणों से कोई वैकल्पिक इंधन नहीं प्रयुक्त हो सकता ।

खानों से कोयला निकालने की नई प्रणाली

*319. श्री अजन सिंह ठाकुर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों से कोयला निकालने के लिए केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ने किसी नई प्रणाली का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार इन नई प्रणालियों को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्था है जो कोल इंडिया लि० के केन्द्रीय खान प्रामोचन और डिजाइन संस्थान के सहयोग से खनन प्रणालियों पर अनुसंधान कार्य करता है। इस संस्थान ने कोयले का खनन करने के लिए कई प्रणालियों का सुझाव दिया है जिनके द्वारा इमारतों तथा अन्य बाधाओं—जैसे नदियों, झीलों, रेलवे लाइनों आदि—के नीचे से हाइड्रालिक रेत भराई, ऊपरी भूमि पर बहुत कम गतिविधि करके कैविंग द्वारा पूरे कोयले की निकासी, आदि विधियों की सहायता से कोयला निकाल लिया जाता है ।

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र द्वारा सुझाए गए खनन तरीके, उपर्युक्त दशाओं (बाधाओं आदि) में, उन खनन तरीकों के सहायक तरीकों की भांति लागू किए गए हैं जो कोल इंडिया लि० की खानों में पहले से चले आ रहे हैं।

Release of Advertisements to Evening Daily Newspapers

*321. SHR C. R. MAHATA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to release advertisements to these Hindi and English Evening daily newspapers whose circulation is more than 1000. a day and having four pages, size 50 x 38 cm in the interest of greater publicity to the Government's programmes and policies;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). In order to qualify for release of Government advertisements, a daily newspaper, whether evening or morning edition, is required normally to have a circulation of 2000 copies per publishing day and a size of not less than 45 cm. x 7 standard column width, and should consist of a minimum of 4 pages. Relaxation in the matter of minimum circulation is, however, given in the following cases:—

(a) In the case of Urdu and Sindhi papers, the minimum paid circulation of 1,000 copies will qualify for Government advertisements.

(b) In the case of specialised, scientific and technical journals, the minimum paid circulation of 500 copies will qualify for Government advertisements.

(c) In the case of Sanskrit papers and papers published especially in the backward, border and remote areas or in tribal languages or primarily for tribal readers, the minimum paid circulation of 500 copies will qualify for Government advertisements.

Exceptions, in the matter of production standard, are also made in the case of newspapers/periodicals being published in tribal languages or for tribal audience.

Release of advertisements in accordance with the above criteria provides for adequate coverage for Government programme and policies.

Building of Super Market by Poona Cantt.

3001. SHRI R. K. MHALGI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) is it a fact that Cantonment Board of Poona Cantonment (Maharashtra) is building a Super Market-*cum*-Commercial Building at General Thimayya Road, Poona, cost of which is estimated to be about Rs. 49 lacs;

(b) is it also a fact that five peoples' representatives on the said board out of 7 have duly submitted note of dissent and that the same dissent note was not even accepted by the President of the Board;

(c) is it also a fact that no tenders for construction work were called for; and

(d) if so, what action Government propose to take in near proximity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) No, Sir.

(b) A proposal from an architects' firm for construction of a private Super Market-cum-Office Building on Defence land at a cost of approximately Rs. 48 lakhs was considered in the Board's meeting on 1-11-1978 and 12-1-1979 and it was decided to accept it in principle. Three out of seven elected members dissented from the decision. The President of the Board did not accept the written note of dissent as it was submitted three days later. Subsequently, on the advice of the GOC-in-C the written note was accepted by the President of the Board and it forms part of the record.

(c) No tenders have been called for construction work because the Board has to obtain Government sanction for the use of the land and to the proposal before the scheme is undertaken by them.

(d) No action is required to be taken by the Government at this stage as no proposal has been received.

बम्बई हाई तेल के लिए पाइप लाइनें बिछाने हेतु स्थान

3002. श्री धर्मसिंह भाई [पटेल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री 21 नवम्बर, 1978 तथा 9 जनवरी, 1979 को बम्बई हाई गैस के लिये पाइप लाइनें बिछाने हेतु स्थानों और अन्य मामलों के बारे में उन्हें पत्र लिखे थे ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त तारीखों के अपने पत्रों में किस प्रकार की मांगें की गई हैं ;

(ग) इन मांगों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का स्वरूप क्या है और उक्त कार्यवाही कब की गई अथवा की जायेगी ;

(घ) गुजरात में इसके लिये स्थानों का चयन करने तथा वहां पाइपलाइन बिछाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त कार्य को शुरू करने, तथा उसे पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?